लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

9/2021

तारीख रजू.........................

सुरेशचन्द वगैरा बनाम इन्द्रावती वगैरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1022, 975, 1021, 975, 978, 979, वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 13.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 13.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) [stamp]	357 29.3.2022
12/21	..........उपस्थित। ...आदेश दिनांक 21.11.21 ...पालना में पत्रावली वास्ते ... दिनांक 27/6/22 ...पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) [stamp]	

3 वकील प्रार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली के तथ्यों एवं सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व विद्वान अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया गया विवादित आराजी सायल के कब्जे मालिक खातेदारी की भूमि जमीन है दर्ज है सायल को गैरसायल से किसी तरह का नुकसान व क्षति हो रही है, सायल द्वारा साबित नहीं किया गया है गैरसायल को पाबन्द किया जाता तो आपार हानि व क्षति गैरसायल को होना संभव है। पत्रावली में अंकित तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन करने पर सायल अपने प्रार्थना-पत्र यथास्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। [illegible] किया. [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] के [illegible] से साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना-पत्र साबित न होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा पत्रावली पर [illegible] से आदेश दिनांक 25/11/[illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] होकर [illegible] के [illegible] के बाद [illegible] [illegible] के साथ [illegible] रहे/ हुक्म सुनाया [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)